संख्या- 5/2021/684/12-3-2021-100(60)/2013 टीसी

प्रेषक

डा0 रामचन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: 01 जून, 2021

विषय:- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-70/ने0फू0सि0मि0/2021-22, दिनांक 24.05.2021, पत्रांक-71/ने0फू0सि0मि0/2021-22, दिनांक 24.05.2021 एवं पत्रांक-72/ने0फू0सि0मि0/2021-22, दिनांक 24.05.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में क्रमश: अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत रू0 1447.76 लाख, अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत रू0 10.79 लाख एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत रू0 1159.74 लाख की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधान	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति (कें0 60)
अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यानों की फसलें, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजनान्तर्गत	**07-मानदेय**	326.34	163.17
	27-सब्सिडी	22007.29	883.82
	42-अन्य व्यय	370.32	20.00
	58-आउटसोर्सिंग	761.55	380.77
	योग-	**23465.50**	**1447.76**
अनुदान सं0-81/ लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0107-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन	**27-सब्सिडी**	30.01	10.79
	योग	**30.01**	**10.79**
अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0107-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन	27-सब्सिडी	6321.00	1159.74
	योग	**6321.00**	**1159.74**
	महायोग	29816.51	2618.29

(रू0 छब्बीस करोड़ अट्ठारह लाख उन्नतीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता/केन्द्रांश की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। उक्त लेखाशीर्षक के मानक मद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जाएगा। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही इसका मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा

6- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही ये कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति नहीं न हो।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

8- अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

10- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयेाग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन/निर्देश तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के कार्यो ं पर व्यय किया जाएगा।

11- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। पात्र किसानों को अनुदान/सब्सिडी के रूप में भुगतान सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथाशीघ्र किया जायेगा तथा इसमें किसी प्रकार की उदासीनता अक्षम्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

12- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

13- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी- 1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में शासन के संगत विभागों द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

14- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1- 285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

15- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

16- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय/क्रय नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020 /बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192 /दस-2020- 231/ 2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 के निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17- कृषि निदेशक अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त/पुर्नवैध कर दी गयी है तथा नियमानुसार व्यय हेतु उपलब्ध है। तदोपरान्त ही धनराशि का आहरण करते हुए व्यय किया जायेगा।

18- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1 -149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/बी-1-196/दस- 2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/ 2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 तथा शासनादेश सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/ बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 एवं शासनादेश सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

सं0- 5/2021/684(1)/12-3-2021-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
13- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा सें,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in